न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1445–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–8–2012 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला खण्डवा प्रकरण क्रमांक 1/बी–103/2011–12.

1– वेदप्रकाश अग्रवाल पिता शंकर प्रसाद अग्रवाल
निवासी आनंद नगर खण्डवा
तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड़
2– मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद इशहाक
निवासी खालाकुआ
तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड़ .....आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा उप पंजीयक खण्डवा .....अनावेदक

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

:: **आ. दे श** ::

(आज दिनांक 11/8/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश 13–8–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा ग्राम नहाल्दा प.ह.नं. 83 तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 721/2 रकबा 2.00 हेक्टेयर संयुक्त खाते की भूमि का बटवारा 100/– रूपये के मुद्रांक शुल्क पर लिखा जाकर पंजीयन हेतु उप पंजीयक, खण्डवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं होने से अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत अवरूद्ध कर दस्तावेज कलेक्टर आफ स्टाम्प को संदर्भित किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 13–8–2012 को आदेश पारित कर वादग्रस्त सम्पत्ति का बाजार मूल्य 20,28,000/– निर्धारित किया जाकर 1,26,750/– रूपये मुद्रांक शुल्क निर्धारित करते हुए पक्षकार द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज 100/– रूपये के मुद्रांक शुल्क पर निष्पादित किया गया था, को कम करके 1,26,650/– रूपये मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया जाकर अधिनियम की धारा 40 (ख) के तहत शास्ति 1,26,750/– रूपये अधिरोपित करते हुए कुल रूपये 2,53,300/– 30 दिवस में जमा किये जाने के आदेश दिये गये हैं। कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा पारिवारिक व्यवस्था पत्र का निष्पादित किया गया था, जो बटवारा पत्र है, किन्तु कलेकटर आफ स्टाम्प द्वारा दान पत्र मानकर बाजार मूल्य निर्धारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि पारिवारिक व्यवस्था पत्र अधिनियम की अनुसूची (1–क) का अनुच्छेद 43–बी लागू होगा, परन्तु कलेकटर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की अनुसूची (1–क) के अनुच्छेद 31 सहपठित अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन संपत्ति में जिस व्यक्ति का स्वत्व न हो वहां दान पत्र निष्पादित होगा, परन्तु वर्तमान संपत्ति में आवेदकगण सह खातेदार हैं । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आवेदकगण द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन नहीं किया गया है, इसलिए कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा शास्ति अधिरोपित करने में भी विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण में अनुसूची (1–क) के अनुच्छेद 43 (बी) लागू नहीं होगा । यह भी कहा गया कि दस्तावेज का विवरण देखा जाये, जिसके अनुसार प्रश्नाधीन दस्तावेज स्पष्टतः दान पत्र प्रतीत होता है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण में संलग्न बटवारा पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पूर्व में बटवारा किया जाकर अपने–अपने हिस्से में काबिज हैं तथा उसका उपयोग, उपभोग कर रहे हैं । अतः इस संबंध में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित है कि आवेदकगण द्वारा पूर्व में ही बटवारा कर अपने–अपने हिस्से की भूमि प्राप्त कर ली गई है, इसलिए पूर्व में बटवारा होने के कारण प्रश्नाधीन दस्तावेज दानपत्र की श्रेणी में आता है अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज को दानपत्र मानकर बाजार मूल्य निर्धारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–8–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 1444–पीबीआर/13, निगरानी 1446–पीबीआर/13 में भी लागू होगा । अतः आदेश की प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर